

सूची पत्र
समाचार पत्र 'सन्धिवाणी', इन्द्रावती जिला राणपूर

समाचार की संख्या 267/2021 प्रा.प. स. 2021

श्री इन्द्रावती जिला कोर्ट, जज साहब अम्बालाल छपार कोर्ट
वि. अशोक प्रसाद वर देवरा
विजय राणपूर

दिनांक 18/11/2021

पत्रावली पेश हुई। प्राचीन मय आधिकार
उपाधिकार। विपरीत गण की जावाज लगाई परन्तु

हीरालाल

विपरीत अनुपाधिकार होने से उनके विरुद्ध
एक तरफ कामवादी की जाती है। प्राचीन

मुकेश 12551

गण इस पुरी में पेश किए गए प्राचीन पत्र
कामवादी द्रोप आरमाने जाकर पेश किया।

लक्ष्मी

जिसपर न्यायालय द्वारा आदेश देकर किया प्राचीन

गण मय आधिकार ने होइने सुनवादी

म. 
दिनांक
मा. 18/11/2021

प्रकरण में जापसी शहीनामा देना चाहिए

कर प्रकरण में कामवादी द्रोप करने का

निवेदन किया। प्रकरण में कोई कामवादी शेष

नहीं रहने से प्रकरण द्रोप किया जाता है।

प्रकरण में सुनी में जारी शब्दान को देना बिरुद्ध किया

जाता है। पत्रावली जिसका सुमाद द्रोप नम्बर से

कम की जावे।


सहायक कलेक्टर
देवर, जिला इन्द्रावती